नौसर देवी बनाम माधोराम 2022/300

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	3/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी-3 अनुपस्थित रहे हैं। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 9/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु०). अजमेर वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित सारणी "अ" व "ब" के खरान की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1, 2 की पैतृक एवं पुश्तैनी कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि है। जिसमें 45 खसरा नम्बर में भूमि विभक्त है, भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होकर संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। अप्रार्थीगण उक्त अविभाजीत आराजीपर विशिष्ट कब्जा काश्त अंकित कर बेचान करने पर आमादा है। तथा आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि दर्शित कर बेचान करने की धमकियां दे रहे है। जिससे प्रार्थीगण ने विधिवत रूप से बंटवारा कर प्रार्थीगण की अलग होल्डिंग कायम करने का वाद पेश किया है जिसके निर्णय तक अप्रार्थीगण को बैचान, रहन एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द करने की इस्तदुआ की है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत रूप से नोटिस तामील होने पर अनुपस्थित रहे है, प्रार्थीगण के प्रा० पत्र पर कोई उज्र या एतराज असालतन / वकालतन नहीं किया है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1, 2 की संयुक्त खातेदारी व हक हिस्से की भूमि है। जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है, प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त व हक हिस्सा निहित है, जिसमें बिना बंटवारा करवाया जाकर अलग-अलग होल्डिंग कायम नहीं होने तक अगर विशिष्ट हिस्सा दर्शित बेचान, हस्तान्तरण या निर्माण आदि किया जाता है, तो यह कानूनन उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से का विधिवत रूप से बंटवारा करने का वाद पेश कर रखा है जिसके निर्णय तक उभय पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित ग्राम माकड़वाली के खसरान की भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) ([illegible]) अजमेर